नरेन्द्र सिंह आदि बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 88 आरटीएक्ट, 136 एलआरएक्ट नम्बर 186 / 2022

जी.सी.एम.एस. आईडी 2022 / 507

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
22.11.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण निवेदन किया कि प्रकरण में रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर प्राप्त हो चुकी हैं। प्रकरण मात्र रिकार्ड दुरूस्ती का हैं। तनकीयात कायम करने की आवश्यक्ता नहीं हैं, सीधे बहस सुनने हेतु निवेदन किया। बहस वकील वादीगण सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि चक 72 आरबी खाता स. 32 / 38 में प.नं. 209 / 263 मु.नं. 24 के कि.न. 10–11 प्रत्येक 0.253है. कुल 0.506है. भूमि वादीगण 1 / 2–1 / 2 हिस्सा खातेदारी हैं और कब्जा काश्त में हैं। उक्त रकबा गंगनहर से सिचित हैं। सिंचाई विभाग के रिकार्ड में सिंचित दर्ज है। भू प्रबंध विभाग द्वारा 1989 से 1999 की तैयार की गयी जमबंदी में सहबन से रकबा नहरी के स्थान पर बारानी त्रुटिवश दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरूस्ती कर जमाबंदी में रकबा बारानी के स्थान पर नहरी दर्ज करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया हैं। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक / भू.अ. / 22 / 1491 दिनांक 12.08.2022 के अनुसार "मुताबिक रिपोर्ट उपतहसीलदार गजसिंहपुर चक 72 अरबी खाता सं. 32 प.नं. 209 / 263 मु.नं. 24 कि.नं. 10–11 / 0.506है. बारानी भूमि नरेन्द्रसिंह, सुरेन्द्र सिंह पि0 गजनसिंह बहिब जाति जटसिख सा. 71 आरबी के नाम से खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख हैं। भू प्रबंध से पूर्व जमाबंदी में उक्त रकबा चक 72 अरबी के प.न. 209 / 263 मु.न. 24 नया व पुराना 66 कि.नं. 10,11 / 0.506है. रकबा नहरी दर्ज था। जबकि भू–प्रबन्धा विभाग उक्त रकबा बारानी दर्ज कर दिया, जिसकी दुरूस्ती की जानी उचित हैं।" वकील वादीगण भी अपनी बहस में दुरूस्ती आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया हैं। प्रकरण मात्र रिकार्ड दुरूस्ती से संबंधित हैं, किसी प्रकार की घोषणा किया जाना आवश्यक नहीं हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण में विवादित भूमि के बारानी के स्थान पर नहरी दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी हैं। अतः धारा 136 एलआर एक्ट के तहत दुरूस्ती की जानी उचित हैं। लिहाजा उक्त विवेचन एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशंषा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार कर चक 72 आरबी खाता सं. 32 प.नं. 209 / 263 मु.नं. 24 कि.नं. 10–11 / 0.506है. भूमि की किस्म बारानी के स्थान पर नहरी की दुरूस्ती कर रा[illegible] आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए [illegible] शेष अंकन यथावत रहेगा। आ[illegible] आदेश की प्र[illegible] भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दा[illegible] दफ्तर हो। (गुंजन सिंह) आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2022.12.21 17:38:00 IST
Reason: SelfAttested